

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

डी.बी. विशेष अपील रिट संख्या 493/2020

लक्ष्मण सिंह, श्री फूल सिंह के दत्तक पुत्र, गांव बाडलवास, तहसील व जिला सीकर के निवासी।

----अपीलकर्ता

बनाम

1. सायर सिंह पुत्र रामनाथ सिंह, निवासी ग्राम बाडलवास, तहसील व जिला सीकर
2. ईश्वर सिंह पुत्र रामनाथ सिंह, निवासी ग्राम बाडलवास, तहसील व जिला सीकर।
3. मनोहर सिंह पुत्र कुशल सिंह, निवासी ग्राम बाडलवास, तहसील व जिला सीकर।
4. भंवर कंवर पत्नी प्रहलाद सिंह, निवासी ग्राम बाडलवास, तहसील व जिला सीकर।
5. रिछपाल सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह, निवासी गांव बाडलवास, तहसील व जिला सीकर
6. जय सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह, निवासी ग्राम बाडलवास, तहसील व जिला सीकर।
7. मंगल सिंह पुत्र कुशल सिंह, निवासी ग्राम बाडलवास, तहसील व जिला सीकर
8. महेंद्र सिंह पुत्र कुशल सिंह, निवासी ग्राम बाडलवास, तहसील व जिला सीकर।
9. स्वरूप कंवर पुत्री प्रहलाद सिंह पत्नी रघुवीर सिंह, निवासी ग्राम अरडाका, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
10. रूप कंवर पुत्री प्रहलाद सिंह पत्नी बजरंग सिंह, निवासी ग्राम राजोद, तहसील जायल, जिला नागौर।
11. संता कंवर पुत्री प्रहलाद सिंह पत्नी राजेंद्र सिंह, निवासी ग्राम घाटवा, तहसील नावा, जिला नागौर।
12. विनोद कंवर पुत्री प्रहलाद सिंह पत्नी राजेंद्र सिंह, निवासी इलग चूडावल, जिला पाली, वर्तमान निवासी शक्ति अपार्टमेंट, मोती डूंगरी रोड, खरबूजा मंडल, जयपुर
13. कामोद कंवर पुत्री प्रहलाद सिंह पत्नी शंभू सिंह, निवासी ग्राम रावली की ढाणी, तहसील बालोतरा, जिला बाड़मेर
14. पंजाब नेशनल बैंक, शाखा बाडलवास, प्रबंधक जिला सीकर के माध्यम से।
15. राजस्थान राज्य, तहसीलदार, जिला सीकर के माध्यम से।

----उत्तरदाता

अपीलकर्ता(ओं) के लिए :

श्री हिमांशू सोगानी

श्री अक्षत खंडेलवाल

उत्तरदाता(ओं) के लिए : श्री पवन पारीक जी के साथ
श्री राघवेन्द्र सिंह

माननीय मुख्य जस्टिस श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव
माननीय जस्टिस श्री आशुतोष कुमार

आदेश

रिपोर्टयोग्य

07/10/2024

1. सुना।
2. यह अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 02.03.2020 के आदेश के विरुद्ध है, जिसके तहत अपीलकर्ता द्वारा द्वितीय अपील में राजस्व बोर्ड द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था।
3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि राजस्व वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु दायर किया गया था, और अपीलकर्ता द्वारा दत्तक पुत्र के रूप में वैधानिक स्थिति की घोषणा की कोई मांग नहीं की गई थी। केवल इसलिए कि राजस्व वाद में प्रतिवादियों ने वैधानिक स्थिति पर विवाद किया था, राजस्व न्यायालय के लिए स्वर्गीय फूल सिंह के दत्तक पुत्र के रूप में अपीलकर्ता की वैधानिक स्थिति के संबंध में विचार करने का कोई अवसर नहीं था, और विशेषकर तब जब अन्य नामांतरण कार्यवाहियों में प्रतिवादियों ने इस वैधानिक स्थिति पर विवाद नहीं किया था।
4. हम पाते हैं कि राजस्व बोर्ड और विद्वान एकल न्यायाधीश दोनों ने समवर्ती रूप से यह माना है कि एक बार जब अपीलकर्ता की स्वर्गीय फूल सिंह के दत्तक पुत्र के रूप में कानूनी स्थिति को राजस्व मुकदमे में प्रतिवादियों द्वारा विवादित किया गया था, तो यह निर्णय लेने के लिए आया था कि क्या अपीलकर्ता लक्ष्मण सिंह कानूनी रूप से फूल सिंह का दत्तक पुत्र था।
5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता इस स्थापित कानूनी स्थिति से असहमत नहीं हैं कि यदि मामला कानूनी वादों की घोषणा से संबंधित है, तो अधिकार क्षेत्र केवल सिविल न्यायालय का है, राजस्व न्यायालय का नहीं। उनके मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि यह मामला राजस्व न्यायालय के समक्ष विचारार्थ नहीं उठा था।
6. हम अपीलकर्ता के विद्वान वकील के प्रस्तुतीकरण को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। यह निर्विवाद है कि वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा की मांग करते हुए दायर किया गया था, जो मूल रूप से स्वर्गीय फूल सिंह के दत्तक पुत्र के रूप में कानूनी स्थिति के दावे पर आधारित था। हालांकि, प्रतिवादियों ने इस दावे और कानूनी स्थिति का खंडन किया। इसके अनुसार, यह निर्धारण के लिए एक मुद्दे को जन्म देता है। चूंकि इस संबंध में

कानून की स्थिति अच्छी तरह से स्थापित है, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपने आदेश में संदर्भित विभिन्न निर्णयों के मद्देनजर, कानूनी स्थिति की घोषणा के संबंध में अधिकार क्षेत्र कि क्या अपीलकर्ता कानूनी रूप से स्वर्गीय फूल सिंह का दत्तक पुत्र था, केवल सिविल न्यायालय के पास है और राजस्व न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस कानूनी स्थिति को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में '1955 का अधिनियम') की वैधानिक योजना के तहत विधिवत स्वीकार किया गया है।

7. इसलिए, राजस्व बोर्ड द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पुष्टि की गई है कि कानूनी स्थिति की घोषणा के संबंध में अधिकार क्षेत्र केवल सिविल न्यायालय के पास है, न कि राजस्व न्यायालय के पास, हम उन आदेशों में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।

8. हालांकि, अपीलकर्ता के विद्वान वकील के इस तर्क में काफी दम है कि भले ही राजस्व बोर्ड और विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह माना हो कि कानूनी स्थिति घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को छोड़कर केवल सिविल न्यायालय के पास है, फिर भी उचित तरीका यह है कि मामले को सिविल न्यायालय के पास निर्णय के लिए भेजा जाए और निष्कर्ष आने के बाद राजस्व मुकदमे का निर्णय किया जाए, क्योंकि राजस्व मुकदमे में न केवल कानूनी स्थिति का निर्धारण शामिल होता है, बल्कि अन्य मुद्दे भी शामिल होते हैं।

9. इस संबंध में, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 239 में निहित प्रावधानों का संदर्भ लेना प्रासंगिक है, जो इस प्रकार है:-

“239. स्वामित्व अधिकार का अभिवचन उठाए जाने पर प्रक्रिया— (1) यदि किसी राजस्व न्यायालय में किसी वाद या कार्यवाही में, उस वाद या कार्यवाही की विषय-वस्तु बनने वाली भूमि के संबंध में स्वामित्व अधिकार का प्रश्न उठाया जाता है और ऐसा प्रश्न पहले किसी सक्षम अधिकारिता वाले सिविल न्यायालय द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, तो राजस्व न्यायालय स्वामित्व अधिकार के प्रश्न पर एक विवाद्यक तैयार करेगा और केवल उस विवाद्यक के निर्णय के लिए अभिलेख सक्षम सिविल न्यायालय को प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण 1.— स्वामित्व अधिकार का कोई अभिवचन जो स्पष्ट रूप से असमर्थनीय है और जिसका उद्देश्य केवल राजस्व न्यायालय के अधिकारिता को समाप्त करना है, इस धारा के अर्थ में स्वामित्व अधिकार का प्रश्न उठाने वाला नहीं माना जाएगा।

स्पष्टीकरण 2.— स्वामित्व अधिकार के प्रश्न में यह प्रश्न शामिल नहीं है कि क्या ऐसी भूमि 'खुदाशत' है।

(2) सिविल न्यायालय, यदि आवश्यक हो, तो विवाद्यक को पुनः तैयार करने के बाद, केवल ऐसे विवाद्यक का ही निर्णय करेगा और उस पर अपने निष्कर्ष सहित अभिलेख को उस राजस्व न्यायालय को लौटा देगा जिसने उसे प्रस्तुत किया था।

3) इसके बाद राजस्व न्यायालय, निर्दिष्ट मुद्दे पर सिविल न्यायालय के निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए वाद का निर्णय करने के लिए आगे बढ़ेगा। इसके लिए.

(4) किसी राजस्व न्यायालय द्वारा किसी ऐसे वाद में पारित डिक्री के विरुद्ध अपील, जिसमें स्वामित्व अधिकार का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त कोई मुद्दा उपधारा (2) के अधीन सिविल न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया गया है, उस न्यायालय में होगी जिसे वाद के मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए, उस न्यायालय से अपील सुनने का अधिकार है जिसे स्वामित्व अधिकार का मुद्दा निर्दिष्ट किया गया था।

(5) उपधारा (4) के अधीन अपील में सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री या आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (केन्द्रीय अधिनियम 5, 1908) की धारा 100 में उल्लिखित किसी भी आधार पर उच्च न्यायालय में की जा सकेगी।

10. धारा 239 की उपधारा (1) में उस स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जब राजस्व न्यायालय में किसी वाद या कार्यवाही में, ऐसे वाद या कार्यवाही की विषय-वस्तु बनने वाली भूमि के संबंध में स्वामित्व अधिकार का प्रश्न उठाया जाता है और जहां ऐसा प्रश्न पहले किसी सिविल न्यायालय या सक्षम क्षेत्राधिकार द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है।

ऐसी स्थिति में, राजस्व न्यायालय स्वामित्व अधिकार के प्रश्न पर एक मुद्दा तैयार करने और उस मुद्दे के निर्णय के लिए सक्षम सिविल न्यायालय को रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है।

इसके बाद, यदि आवश्यक हो, तो सिविल न्यायालय, मुद्दे को पुनः निर्धारित करने के बाद, केवल मुद्दे का ही निर्णय करेगा और अभिलेखों को अपने निष्कर्षों सहित उस राजस्व न्यायालय को लौटा देगा जिसने उसे प्रस्तुत किया था। उप-धारा (3) में निहित प्रावधान यह भी प्रावधान करता है कि राजस्व न्यायालय, उसके समक्ष निर्दिष्ट मुद्दे पर सिविल न्यायालय के निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए, वाद का निर्णय करने के लिए आगे बढ़ेगा।

11. उपर्युक्त वैधानिक योजना के मद्देनजर, हमारा मत है कि भले ही यह ऐसा मामला था जहाँ राजस्व न्यायालय और विद्वान एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि अपीलकर्ता स्वर्गीय फूल सिंह का कानूनी रूप से दत्तक पुत्र था या नहीं, इस मुद्दे का निर्णय सिविल न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक था और यह राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर था, फिर भी 1955 के अधिनियम की धारा 239 की उपधारा (1) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक था। राजस्व न्यायालय को एक मुद्दा तैयार करना था और फिर उसे सक्षम क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र वाले सिविल न्यायालय को भेजना था और सिविल न्यायालय के निष्कर्षों सहित अभिलेख की वापसी की प्रतीक्षा करनी थी।

12. प्रतिवादियों के विद्वान वकील इस कानूनी स्थिति और 1955 के अधिनियम की धारा 239 की आवश्यकता और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर विवाद नहीं कर सके।
13. तदनुसार, यद्यपि हम राजस्व बोर्ड और विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों में इस सीमा तक हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं कि विधिक स्थिति की घोषणा राजस्व न्यायालय के बजाय सिविल न्यायालय के विचारणीय विषय हो सकती है, फिर भी एक मुद्दा तैयार किया जाना और सिविल न्यायालय को भेजा जाना आवश्यक था, जो नहीं किया गया। अतः, यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।
14. सहायक कलेक्टर, सीकर के राजस्व न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह कानूनी स्थिति की घोषणा के संबंध में उचित मुद्दा तैयार करें और उसे तुरंत सक्षम क्षेत्राधिकार वाले सिविल न्यायालय को भेजें और फिर सिविल न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्षों के आधार पर मामले का फैसला करें।
15. चूंकि यह एक पुराना मामला है, इसलिए विवाद का संदर्भ राजस्व न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई की पहली तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्रथम दृष्टया प्रस्तुत किया जाएगा। पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे 22.10.2024 को सहायक कलेक्टर, सीकर के राजस्व न्यायालय में उपस्थित हों। एक बार मामला सिविल न्यायालय को सौंप दिए जाने के बाद, पक्षकारों के लिए सिविल न्यायालय द्वारा मामले के शीघ्र निपटारे के लिए प्रार्थना करने और राजस्व मंडल द्वारा अपीलकर्ता के खातेदारी अधिकारों के दावे के संबंध में विचाराधीन सभी मुद्दों के न्यायनिर्णयन हेतु अभिलेखों सहित निष्कर्ष वापस करने का विकल्प खुला रहेगा।

(आशुतोष कुमार), जे

(मनींद्र मोहन श्रीवास्तव), सीजे

एन.गांधी/तनिषा/6

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

[2024:आरजे-जेपी:41997-डीबी]

[एसएडब्ल्यू-493/2020]



Tarun Mehra
Advocate